संo–311879/XXVII(10)/E-77708/2025

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव,
सचिव/सचिव(प्र0),
उत्तराखण्ड शासन।

2. मण्डलायुक्त,
कुमॉऊ/गढवाल मण्डल,
उत्तराखण्ड।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादून : दिनॉक 07 जुलाई, 2025

विषय :– राज्यांतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme(NPS)) से आच्छादित कार्मियों की केन्द्र सरकार/उत्तराखण्ड सरकार/अन्य राज्य सरकार/स्वायत निकाय की पूर्व सेवाओं को उपदान (Gratuity) की देयता हेतु जोडे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के आदेश संख्या– 7/5/2012 पी0एंड0पीडब्ल्यू (एफ)/बी दिनांक 26.08.2016 के क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 174/42/X XVII(10)/16/2017 दिनांक 16.06.2017 के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme(NPS)) से आच्छादित राज्य कर्मियों को सेवानिवृत्ति उपदान एवं मृत्यु उपदान की अनुमन्यता उ0प्र0 रिटायमेंट बेनीफिट्स रूल्स (उत्तराखण्ड), 1961 (यथासंशोधित) से आच्छादित कर्मचारियों की भॉति प्रदान की गई हैं। राज्यांतर्गत पुरानी पेंशन योजना (OPS) से आच्छादित कर्मियों की दो सेवाओं को सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु संयोजित किये जाने के प्राविधान विद्यमान हैं, किन्तु राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme(NPS)) से आच्छादित कर्मियों हेतु उक्त प्राविधान विद्यमान नही है।

2– अतः इस संबंध में राज्यांतर्गत प्राविधान प्रतिपादित करने के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार के आदेश संख्या–7/5/2012 पी एंड पी डब्ल्यू(एफ)/बी दिनांक 12, फरवरी, 2020 द्वारा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्वायत निकाय में नई सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में सेवानिवृत्त लाभों में मात्र उपदान के लाभ के लिए सेवा की संगणना सम्बन्धी निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में राज्यांतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme(NPS)) से आच्छादित कार्मियों की केन्द्र सरकार/उत्तराखण्ड सरकार/अन्य राज्य सरकार/स्वायत निकाय की पूर्व सेवाओं को उपदान (Gratuity) की देयता हेतु निम्नवत् जोडे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. उत्तराखण्ड राज्य सरकार की सेवा से उत्तराखण्ड राज्य सरकार की अन्य सेवा में जाने पर राज्य सरकार के पिछले विभाग में दी गयी सेवा की उपदान की देयता के लिए गणना की जायेगी। उत्तराखण्ड राज्य सरकार के दो विभागों के बीच उपदान की पात्रता (Liability) के लिए कोई साझेदारी नहीं होगी।

2. उत्तराखण्ड राज्य सरकार की सेवा से उत्तराखण्ड राज्य सरकार की तरह ही अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान के प्रावधान के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वाली अन्य राज्य सरकार में जाने पर, राज्य सरकार में दी गयी सेवाओं की उपदान की देयता के लिए गणना की जायेगी। वहीं प्रावधान केन्द्र सरकार के विभाग में जाने पर राज्य सरकार के एन0पी0एस (National Pension Scheme(NPS)) कर्मचारियों पर लागू होंगे। केन्द्र सरकार और उत्तराखण्ड राज्य सरकार के बीच उपदान की पात्रता (Liability) के लिए कोई साझेदारी नहीं होगी। अन्य राज्य सरकार और उत्तराखण्ड राज्य सरकार के बीच उपदान की पात्रता (Liability) के लिए साझेदारी होगी।

3. उत्तराखण्ड राज्य सरकार की सेवा से उत्तराखण्ड राज्य सरकार की तरह ही अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान के प्रावधान के साथ राष्ट्रीय पेंशन योजना वाले केन्द्र सरकार/उत्तराखण्ड सरकार/अन्य राज्य सरकार की स्वायत्त निकायों में जाने पर, राज्य सरकार में दी गयी सेवाओं की उपदान की देयता के लिए गणना की जायेगी। सरकार में दी गयी सेवा के लिए सेवानिवृत्ति उपदान की राशि केन्द्र सरकार/उत्तराखण्ड सरकार/अन्य राज्य सरकार की स्वायत्त निकायों को देकर सरकार द्वारा उपदान की जिम्मेदारी वहन की जायेगी। यही प्रक्रिया राष्ट्रीय पेंशन योजना वाले कर्मचारी पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगी, जो एक स्वायत्त निकाय से दूसरी स्वायत्त निकाय या एक स्वायत्त निकाय से राज्य सरकार/विभाग/संगठन यदि दोनो ने राज्य सरकार की तरह अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान के साथ राष्ट्रीय पेंशन योजना अपनाया है, में जाते हैं।

4. उत्तराखण्ड राज्य सरकार से केन्द्र सरकार/उत्तराखण्ड सरकार/अन्य राज्य सरकार के स्वायत्त निकाय या केन्द्र सरकार/उत्तराखण्ड सरकार/अन्य राज्य सरकार में जाने पर जहां उत्तराखण्ड राज्य सरकार की तरह उपदान देने का प्रावधान नहीं है या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में जाने पर राष्ट्रीय पेंशन योजना वाले सरकारी कर्मचारी को राज्य सरकार में दी गयी सेवा के लिए नियमानुसार सेवानिवृत्तिक उपदान दिया जायेगा, बशर्ते राज्य सरकार और बाद के संगठन में दी गयी सेवाओं के लिए स्वीकार्य कुल उपदान उस स्वीकार्य राशि से ज्यादा नहीं होगा, जो अगर सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा जारी रखता और बाद के संगठन से सेवानिवृत्ति पर आहरित वेतन के समान वेतन पर सेवानिवृत्ति होता।

3— उपरोक्त प्रावधान राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme(NPS)) के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो उत्तराखण्ड राज्य/केन्द्र सरकार/अन्य

राज्य सरकार या केन्द्र सरकार/उत्तराखण्ड सरकार/अन्य राज्य सरकार की स्वायत्त निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में निम्न मापदण्डों को पूर्ण कर नियुक्त/सेवायोजित हुए हो :–

(1). नई सेवा की परीक्षा/अन्य चयन प्रक्रिया हेतु विभागीय अनुमति प्राप्त की हो।

(2). नई सेवा में विधिवत रूप से तकनीकी त्यागपत्र के उपरान्त कार्यमुक्त होकर आये हो।

(3). दो सेवाओं के मध्य किसी प्रकार का सेवा व्यवधान न हो अर्थात् सेवा में निरंतरता विद्य मान हो।

(4). दोनो सेवाओं में स्थायीकरण हो चुका हो।

4– सेवा संयोजन का प्रस्ताव वित्त विभाग के पूर्व निर्गत शासनादेश सं0–I/243009/2024 दि0 26, सितम्बर, 2024 के द्वारा नियत प्रारूपानुसार प्रेषित किया जायेगा।

भवदीय,

Digitally signed by
Ramesh Kumar Sudhanshu
Date: 07-07-2025 11:43:32

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव

सं0–311879/XXVII(10)/E-77708/2025, तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, सचिव–मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2– निजी सचिव–मा0 वित्त मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र सं0–4/2/VIII/XXI/सी0एक्स0, दि0 04, जून, 2025 के क्रम में प्रेषित।
5– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Vijay Kumar
Date: 07-07-2025
12:29:26

आज्ञा से,

(विजय कुमार)
संयुक्त सचिव